भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2738
17.03.2025 को उत्तर के लिए

वन्यजीव गलियारों को घुसपैठ से सुरक्षित रखने के लिए कदम

2738. डॉ. अमर सिंहः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में मानव-हाथी के बीच बढ़ते संघर्षों के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें कृषि विस्तार, औद्योगिक घुसपैठ, खनन, अवसंरचनात्मक गतिविधियां और यहां तक कि जलवायु परिवर्तन भी शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वन्यजीव गलियारों को घुसपैठ से सुरक्षित रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): देश के कई हिस्सों से हाथियों सहित अन्य मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। सरकार ने इन मुद्दों से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

i. मंत्रालय ने मानव वन्यजीव स्थितियों से निपटने के लिए दिनांक 06.02.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परमर्शिका जारी की है।

ii. मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए दिनांक 3 जून 2022 को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

iii. मंत्रालय ने हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मैकाक, जंगली सुअर, भालू, नीलगाय और काला हिरण से जुड़े मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए दिनांक 21.03.2023 को प्रजाति-विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मीडिया के साथ सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

iv. संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है, तथा इसके लिए संबंधित ग्राम सभा के साथ परामर्श को अनिवार्य कर दिया गया है।

v. मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावास के प्रबंधन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायता प्राप्त कार्यकलापों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, वन्य जीवों के फसल के खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर, विद्युत चालित बाड़, जैव-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण और स्थापना शामिल है।

vi. रेडियो कॉलरिंग, डिजिटल सेंसर वॉल और ई-निगरानी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष उपशमन में भी किया जाता है।

vii. राज्य वन विभाग आम जनता को मानव-वन्यजीव संघर्ष के बारे में जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाता है। इसके अलावा, वन विभाग हाथियों की आवाजाही पर नज़र रखने और लोगों को समय रहते सावधान करने के लिए वन्यजीव ट्रैकर के रूप में स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ रहे हैं।

*****